न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 120 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 422

1. करनैल कौर पत्नी मोहन सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एनजैडपी बी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
2. सुखचैन सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एनजैडपी बी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
3. राजविन्द्र कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी जरनैल सिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 14 एसजेएम बी तहसील व जिला अनूपगढ़(राज0)
4. गुरप्रीत कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी हाकम सिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 14 एसजेएम बी तहसील व जिला अनूपगढ़(राज0)
5. कर्मजीत कौर पुत्री मोहन सिंह पत्नी माघ सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
6. सतनाम सिंह पुत्र अंग्रेज कौर पुत्री मोहन सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 6 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
7. मखन सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 1 एनजैडपी बी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
   जरिए मुखत्यारेआम – मखन सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 1 एनजैडपी बी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 84 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भू–अभिलेख रायसिंहनगर
3. बलवंतराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी चक 84 आरबी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
4. गुरचरण सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 84 आरबी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़(राज0)
5. विश्वास बेनीवाल पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी 22 एनजीसी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जुल्फकार खान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री सुधीर बिश्नोई, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1, 3 से 5
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 1 एनजैडपी बी के मु.नं. 38 की कुल 4.858 है. कमाण्ड / अ.क. भूमि के वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 दर्शन सिंह के नाम से इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिए गये हैं तथा इन्तकाल सं. 336 दिनांक 02.01.2023 को स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी के आधार पर दिनांक 30.07.24 को पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एवं धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र 96–151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं मूल अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्रों को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं।

3. अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) एवं धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने के लिए निवेदन किया गया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर, मा. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर में विचाराधीन प्रकरणों की आदेशिकाओं, रिपोर्ट तहसीलदार आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय का मत हैं कि उक्त दस्तावेजात प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज नहीं आ सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

4. अपीलार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वसीयत में वर्णिय भूमि अपीलार्थीगण की खीरदशुदा हैं और अपीलार्थीगण काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलार्थीगण पूर्णतया प्रभावित है इसलिए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलार्थी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे अपीलार्थी को दिनांक 06.05.2023 को प्रत्यर्थी दर्शन सिंह से जानकारी हुई जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गयी हैं, अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गयी हैं। अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश दिनांक 30.12.2022 का हैं तथा नामान्तरण दिनांक 02.01.2023 को दर्ज हुआ हैं, अपीलार्थीगण के द्वारा अपील दिनांक 11.05.2023 को पेश की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे, अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन भूमि उनके पिता द्वारा जरिए ईरारनामा खरीदशुदा होने का कथन किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि के संबंध में मा. सिविल न्यायायल में वाद विचारित रहा हैं तथा अपील मा. उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के समक्ष लम्बित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रत्यक्षतः प्रभावित पक्षकार हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. का स्वीकार कर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

5. उभयपक्ष अधिवक्तागण की मूल अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि हरबंस सिंह पुत्र लाभ सिंह को आवंटित हुई थी। हरबंस सिंह द्वारा भूमि जरिए ईकरारनामा अमरीक सिंह को व अमरीक सिंह के द्वारा अपीलार्थीगण के पति/पिता मोहन सिंह को ईकरारनामा के जरिए दिनांक 04.08.1987 विक्रय कर दी थी। मोहन सिंह के द्वारा मुख्य आवंटी हरबंस सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात इकरारनामा की अनुपालना बाबत हरबंस सिंह के वारिसान के खिलाफ मा. अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष वाद 21/1996 पेश किया गया। जो दिनांक 19.12.2003 को खारिज हो गया। जिसके विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में अपील पेश की गयी जो आज भी लम्बित हैं। पक्षकारान के मध्य मा. उच्च न्यायालय में राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण उच्च न्यायालय द्वारा मा. अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर को राजीनामा तस्दीक हेतु भिजवाया गया लेकिन मुखत्यार सिंह पुत्र भाग सिंह के मा. न्यायायल के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण राजीनामा तस्दीक नहीं हो पाया। मा. न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध 183 राज.काश्त. अधि. की कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया हैं। मुखत्यार सिंह के पुत्र दर्शन सिंह के द्वारा हरबंस की फर्जी वसीयत तैयार करवाकर अधिनस्थ न्यायालय से अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवा लिया। पटवारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गयी। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि मा. उच्च न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने नाम से भूमि दर्ज होने के उपरान्त प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को जरिए बैय/दान के द्वारा अन्तरित कर दी। वर्तमान में भूमि प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 के नाम से रिकार्ड में दर्ज हैं। आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध हैं। माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रकरण आज भी लम्बित हैं। अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं. 1, 3 से 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीग्ण का अपीलाधीन भूमि में कोई हक व अधिकार निहित नहीं हैं। मूल आवंटी हरबंस सिंह द्वारा रेस्पो. सं. 1 दर्शन सिंह के पक्ष में वसीयत की थी। वसीयत रजिस्टर्ड हैं। दर्शन सिंह द्वारा भूमि रजि. बैयनामा/दान के द्वारा रेस्पों. सं. 3 से 5 को अन्तरित कर दी गयी हैं। अपीलार्थीगण का भूमि पर कोई अधिकार नहीं हैं ना ही कब्जा हैं। ईकरारनामा के आधार पर हक व अधिकार सृजित नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

होते हैं। आलौच्य आदेश विधिसम्मत हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत के गवाहान के शपथ पत्र प्राप्त कर पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर सार्वजनिक सूचना के द्वारा आपत्तियां आमंत्रित कर आलौच्य आदेश पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया हैं। अतः अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा मा. अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था जिसकी अपील मा. उच्च न्यायालय जोधपुर में राजीनामा के स्तर पर विचाराधीन हैं। अतः वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रकरण का निस्तारण करते समय अपीलाधीन भूमि पर मा. उच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा अपील प्रकरण 49/2004 में दिनांक 29.01.2004 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया हैं। मा. उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थीगण के भूमि पर कब्जा को स्वीकार करते हुए अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल नहीं किये जाने के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया हैं।

8. मूल आवंटी हरबंस सिंह की मृत्यु दिनांक 14.07.1994 को हुई हैं, पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भूमि की खातेदारी दिनांक 06.07.1994 को जारी की हुई हैं। अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयत दिनांक 02.06.1992 की हैं। अर्थात गैर खातेदारी भूमि की वसीयत की गयी हैं। उक्त वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 10.06.1996 को उप पंजीयक रायसिंहनगर से पंजीबद्ध हैं जो कि उप पंजीयक के द्वारा वसीयत के गवाहान के ब्यानों के आधार पर किया गया हैं।

9. प्रार्थी दर्शन सिंह के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर आवेदन करने पर तहसीलदार के द्वारा पटवारी से रिपोर्ट एवं गवाहान व प्रार्थी से शपथ पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक सूचना जारी कर समाचार पत्र में प्रकाशित करवा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि तहसीलदार द्वारा लोक प्रचलित समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नहीं करवाया हैं। प्रश्नगत भूमि के संबंध में मा. अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में व मा. उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत प्रकरण का निस्तारण किया हैं। जो विधिसम्मत नहीं हैं। पटवारी द्वारा दिनांक 10.01.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट में भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं होने का अंकन किया गया हैं एवं भूमि पर कब्जा वसीयत क्रेता के पास होने का अंकन किया गया हैं। प्रत्यर्थी दर्शन सिंह द्वारा भूमि प्रस्तुत शपथ पत्र में भूमि का कब्जा मौका पर प्रार्थी दर्शन सिंह के कब्जा काश्त में होने और भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद व स्थगन आदेश नहीं

होने बाबत अंकन हैं। जबकि भूमि को लेकर विवाद था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2004 को अपीलार्थीगण का भूमि पर कब्जा मानते हुए बेदखल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जो वर्तमान में प्रभावी हैं। प्रश्नगत भूमि के संबंध में राज. काश्त. अधि. की धारा 183 के तहत कार्यवाही किये जाने को भी मा. उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 निम्नांकितानुसार अवलोकनीय हैं :–

> 135. Procedure on report – (1) The Tehsildar, on receiving such report or upon the fact coming otherwise to his knowledge, shall make such inquiry as appears necessary and in undisputed cases, if the succession or transfer or other acquisition appears to have taken place, shall record the same in the annual registers.
>
> (2) If the succession or transfer or other acquisition is disputed, the Tehsildar shall, if competent under this Act or any other law for the time being in force decide such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं।

10. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबंदीयों का सुआ–मोटो ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी दर्शन सिंह के नाम से अमलदरामद किये जाने के उपरान्त दर्शन सिंह के द्वारा भूमि को प्रत्यर्थीगण सं. 3 से 5 को जरिए दान व बैय करने पर भूमि बेचान व दान के आधार पर वर्तमान रिकार्ड में प्रत्यर्थीगण सं. 3 से 5 के नाम से दर्ज की गयी हैं। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का अंकन किया गया हैं। जो कि सद्भाविक कृत्य नहीं हैं। आलौच्य आदेश निरस्त योग्य हैं।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार रायसिंहनगर के प्र.सं. 29/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 1 एनजैडपी बी के मु.नं. 38 की कुल 4.858 है. कमाण्ड/अ.क. भूमि के वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 दर्शन सिंह के नाम से इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिए गये हैं को निरस्त किया जाता हैं। आलौच्य आदेश की पालना में वसीयत आधार दर्ज इन्तकाल सं. 336 दिनांक 02.01.2023 एवं इसके पश्चातवर्ती दर्ज समस्त नामान्तरण निरस्त किये जाते हैं। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2004 को पारित स्थगन आदेश कब्जा के संबंध में हैं, ऐसी स्थिति में तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि भूमि को अपीलाधीन आदेश के निरस्त होने के कारण अपीलाधीन भूमि की राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं. 336 दिनांक 02.01.2023 से पूर्व की स्थिति का अंकन किया जावे। तत्पश्चात प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.01.2004 का पुनः अंकन किया जावे। अपीलाधीन भूमि के संबंध में निर्णय मा. उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

12. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वे प्रकरण में संबंध में प्रशासनिक जांच कर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासानात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)